

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं०-2/नि० 1-103/12 103

पटना, दिनांक- 4/4/18

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पूर्व से विभिन्न वर्षों/चरणों में संविदा पर नियोजित कुल 88 कनीय अभियंता (असैनिक) जिनकी संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में कार्यरत है। दिनांक-13.03.18 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-06 के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई एवं तदनुसार निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-67 दिनांक-27.03.18 के आलोक में अगले एक वर्ष के लिए पुर्ननियोजन हेतु एकरारनामा करना है। इस हेतु निम्न इच्छुक उम्मीदवारों को पत्र निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर विहित प्रपत्र में सरकार के साथ एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा के साथ पासपोर्ट साईज का दो अदद फोटो एवं असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

क्र.	कनीय असैनिक अभियंता का नाम	कार्यरत स्थान	
		प्रमंडल	प्रशाखा
1	2	3	4
1	श्री प्यारे लाल मंडल	नवादा	हिसुआ
2	श्री हेमेन्द्र राय	मुजफ्फरपुर	प्रशाखा-1
3	श्री मुकेश कुमार यादव	सासाराम	सासाराम
4	श्री रिकु राज	जमुई	सोनो
5	श्री सुजीत कुमार	अरवल	कलेर
6	श्री लक्ष्मण प्रसाद	सीतामढी	रुत्री सैदपुर
7	श्री दीपक कुमार	भभुआ	मोहनिया
8	श्री चन्दन कुमार	शिवहर	तरियानी-1
9	मो० मनीर अंसारी	गोपालगंज	बरौली
10	श्री चन्दन चंचल	गोपालगंज	भोरे
11	श्री रविश कुमार	बाका	अमरपुर
12	श्री सुनील कुमार चौधरी	छपरा	मशरख
13	श्री मुकुन्द कुमार	समस्तीपुर	पटोरी
14	श्री राजीव रंजन	हाजीपुर	बिदुपुर
15	श्री श्याम सुन्दर कुमार	बेतिया	रामनगर
16	श्री राजेश कुमार	बिहारशरीफ	बिहारशरीफ

17	श्री नरेश कुमार चौधरी	मोतिहारी	अरेराज
18	श्री सुनील कुमार	पूर्णिया	बायसी
19	श्री शारदा नन्द कुमार भारती	कटिहार	कटिहार
20	श्री विनोद कुमार	अररिया	फारबिसगंज
21	श्री अजीत कुमार राम	मधेपुरा	मुरलीगंज-1
22	श्री अरविन्द कुमार	मधेपुरा	आलमनगर
23	श्री गौतम कुमार दास	मुंगेर	जमालपुर
24	श्री अमित कुमार	मधुबनी	जयनगर
25	श्री जितेन्द्र कुमार	हाजीपुर	महनार
26	श्री रूपेश कुमार	भागलपुर पूर्व	पीरपैती
27	श्री विकास कुमार	लखीसराय	बडहिया
28	श्री शालीग्राम प्रसाद मंडल	बेगूसराय	मटिहानी
29	श्री दिलीप मंडल	आरा	गडहनी
30	श्री दिलीप कुमार मंडल	बेतिया	ठकराहा
31	श्री सुग्रीव कुमार	बक्सर	नावानगर
32	श्री कृतिकान्त मंडल	जहानाबाद	घोसी
33	श्री शेखर सुमन	औरगाबाद	बारुण
34	श्री सजीव कुमार	औरगाबाद	गोह
35	श्री राकेश कुमार	लखीसराय	सूर्यगढ़ा
36	सुश्री निधि सिन्हा	अधीक्षण अभियंता पटना	पटना
37	श्री सतोष कुमार गुप्ता	सीतामढी	बैरगनिया
38	मो0 इशितयाक	कटिहार	सुनौली
39	मो0 रफीक	ढाका	चिरैया
40	सुश्री रिचा कुमारी	बेतिया	प्रशाखा-3
41	श्री पून्यदेव कुमार	छपरा	मढौरा
42	श्री विकास कुमार	छपरा	तरैया
43	श्री तहसीन निजामी	खगड़िया	बेलदौर
44	सुश्री सुरभि सुमन	मुजफ्फरपुर	प्रशाखा-2
45	श्री गुलाम नवी आजाद	सीवान	दरौली
46	श्री कृष्ण कुमार	दरभंगा	प्रशाखा-3
47	श्री अदनान शम्सी	पूर्णिया	वैसा
48	श्री सत्य प्रकाश कुमार	पूर्णिया	भवानीपुर
49	श्री परवेज आलम	मोतिहारी	कल्याणपुर
50	श्री रितेश कुमार	मुंगेर	तारापुर
51	श्री विकास कुमार	मुंगेर	मुंगेर ग्रामीण
52	श्री नामित कुमार	मुंगेर	धरहरा
53	श्री तरुण कुमार	बेगूसराय	बछवाडा
54	श्री रवि रंजन	जहानाबाद	काको
55	सुश्री शिप्रा चौधरी	भागलपुर पूर्व	सन्हौल
56	श्री मंटु कुमार साह	भागलपुर पूर्व	विहपुर
57	श्री शहनवाज आलम	लो0स्वा0रूपां0 एवं यो0प्र0, सं0-5	
58	सुश्री प्रिया रंजन	लो0स्वा0रूपां0 एवं यो0प्र0, सं0-8	
59	सुश्री दिव्या रंजन	लो0स्वा0रूपां0 एवं यो0प्र0, सं0-8	

60	सुश्री वर्षा कुमारी	लो०स्वा०रूपा० एवं यो०प्र०, सं०-6	
61	सुश्री सीमा कुमारी	भभुआ	भभुआ
62	श्री अवनीश कुमार राय	मधेपुरा	कुमार खण्ड
63	सुश्री आकांक्षा आनंदी	अरवल	कलेर-2
64	सुश्री नेहा नुपूर	अरवल	अरवल-2
65	श्रीमती श्वेता कुमारी	रूपा० एवं यो०प्र० सं०-9, पटना	
66	मो० असदुल्लाह खालिद	नवादा	कौआकोल
67	मो० इपतेखार अंसारी	ढाका	छौडादानो
68	सुश्री निशा कुमारी	हाजीपुर	प्रमडलीय प्राक्कलक
69	श्री श्यामबाबू राय	सासाराम	रोहतास
70	श्री सचिन कुमार	लखीसराय	पिपरिया
71	मो० साकिब रेहान	सुपौल	निर्मली
72	सुश्री रेखा कुमारी	भभुआ	भगवानपुर
73	श्री राजू कुमार	सीतामढी	डुमरा
74	सुश्री रागिनी कुमारी	सीतामढी	बेलसंड
75	श्री रवि रंजन	जमुई	चकाई
76	मो० सैफुल हक	बाका	धोरेया
77	श्री सत्य प्रकाश कुमार	मधुबनी	खुटौना
78	सुश्री पूजा कुमारी	आरा	प्राक्कलक
79	श्रीमती मधु कुमारी	पटना पश्चिम	दीघा
80	सुश्री नित्या प्रभा	लो०स्वा०अभि० अंचल, गया	प्राक्कलक
81	सुश्री सोनी कुमारी	गया	खिजरसगय
82	श्री तरुण	मोतिहारी	पहाडपुर
83	सुश्री सौदा रजा	मुजफ्फरपुर	कुढनी
84	श्री सुनील कुमार मांझी	मधेपुरा	सिहेश्वर
85	सुश्री चांदनी गुप्ता	समस्तीपुर	विभूतिपुर
86	श्री नीरज कुमार	भागलपुर पश्चिम	भागलपुर शहरी
87	श्री अविनाश कुमार	शेखपुरा	अरियरी
88	सुश्री अंजीता रजक	शेखपुरा	प्रशाखा-1 (शहरी)

अतः उक्त को सूचित किया जाता है कि असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अलावे हाल का दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उक्त निर्धारित तिथि तक सरकार के साथ सलग्न विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पादित करें अन्यथा अगले एक वर्ष के लिए पुनर्नियोजन पर विचार नहीं किया जायेगा। एकरारनामा करते समय, कार्य-कलाप की वर्तमान स्थिति प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(दया शंकर सिन्हा) 8
संयुक्त सचिव (प्र०को०)


Ranjan

ज्ञापांक- 2/नि0 1-103/12 76

दिनांक- 4/4/18

E-mail


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख का कोषांग/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रूपांकण एवं योजना सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रूपांकन एवं योजना सहित)/बजट शाखा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दया शंकर मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक- 2/नि0 1-103/12 76

दिनांक- 4/4/18


प्रतिलिपि- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित।


(दया शंकर मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक- 2/नि0 1-103/12 76

दिनांक- 4/4/18

प्रतिलिपि- सभी संबंधित संविदा आधारित कार्यरत कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दया शंकर मिश्रा)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800015

(संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा)

यह एकरारनामा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल कनीय अभियंता (असैनिक) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर अधिकतम 01 (एक) वर्ष के लिए किया जायेगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री को 27,000/-रूपये प्रति माह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
7. संविदा के नियोजन के उपरान्त नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कन्ट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

नियोजित कनीय अभियंता
का हस्ताक्षर

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना

7/12/20
12/12/20